न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी : **गितेश श्री मालवीय** आर.ए.एस.

1 प्र. सं. 58/2016 (नि.पं.)
पंजीयन दिनांक 27.12.2016
G.C.M.S. NO:-2016/00147

माधवलाल पुत्र रतनलाल अहीर निवासी अडाना, तहसील राशमी, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
.....निगराकार

बनाम

1 नानीबाई पत्नि पन्नालाल भील निवासी अडाना, तहसील राशमी, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
2 ग्राम पंचायत अडाना, जरिये सरपंच/सचिव, ग्राम पंचायत अडाना, तहसील राशमी, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
.....विपक्षीगण

निगरानी विरूद्ध ग्राम पंचायत, अडाना द्वारा विपक्षी संख्या 1 को जारी निः शुल्क पट्टा मिसल क्रमांक – पट्टा दिनांक 05.05.2008

2 प्र. सं. 60/2016 (नि.पं.)
पंजीयन दिनांक 30.12.2016
G.C.M.S. NO:-2016/00146

माधवलाल पुत्र रतनलाल अहीर निवासी अडाना, तहसील राशमी, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
.....निगराकार

बनाम

1 रक्कू पत्नि नारू भील निवासी अडाना, तहसील राशमी, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
2 ग्राम पंचायत अडाना, जरिये सरपंच/सचिव, ग्राम पंचायत अडाना, तहसील राशमी, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
.....विपक्षीगण

निगरानी विरूद्ध ग्राम पंचायत, अडाना द्वारा विपक्षी संख्या 1 को जारी निः शुल्क पट्टा मिसल क्रमांक – पट्टा दिनांक 05.05.2008

उपस्थिति : 1–श्री सम्पत कुमार जणवा, अधिवक्ता निगराकार
2–श्री भगवत सिंह गिलुण्डिया, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1

निर्णय

दिनांक 27.05.2022

उपरोक्त दोनों प्रकरण एक ही प्रकृति के होने से एक साथ एक ही निर्णय द्वारा निर्णित किये जा रहे हैं। निर्णय की प्रति प्रत्येक प्रकरण की पत्रावली में संलग्न की जावे। प्रस्तुत मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अधीनस्थ ग्राम पंचायत अडाना द्वारा विपक्षी संख्या 1 को 900 वर्गफीट का आवंटन कर पट्टा दिनांक 05.05.2008 जारी किया है जो पंचायती राज अधिनियम के नियम 158 की मंशा के विपरीत है। विपक्षी संख्या 1 को निः शुल्क/रियायती दर पर पट्टा जारी किया गया है किन्तु विपक्षी संख्या 1 निः शुल्क/रियायती दर पर पट्टा जारी करने का पात्र ही नहीं था। अतः निगरानी स्वीकार फरमाई जाकर जारी पट्टा निरस्त किया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैर निगराकारगण/विपक्षीगण को सूचना पत्र जारी किये गये। विपक्षी संख्या 2 बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं। विपक्षी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री भगवत सिंह गिलुण्डिया ने अधिकार पत्र एवं जवाब पेश किया। अधीनस्थ ग्राम पंचायत से विवादित पट्टे से संबंधित रेकार्ड तलब किया गया। ग्राम पंचायत, अडाणा ने अपने पत्र दिनांक 20.01.2017 से पट्टा जारी करना बताते हुए पट्टे की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की तथा रोकड़ बही एवं बैठक कार्यवाही रजिस्टर में पट्टे संबंधित कोई इन्द्राज नहीं पाया जाना अवगत कराया। उभय पक्ष के बहस हेतु सहमत होने से बहस प्रकरण उभय पक्ष सुनी गई।

अधिवक्ता निगराकार का मुख्य कथन यह रहा कि अधीनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा विपक्षी संख्या 1 को जो निः शुल्क/रियायती पट्टा जारी किया है वो विधि–विपरीत जारी किया है ग्राम पंचायत द्वारा जिस भू–भाग पर पट्टा जारी किया है वह वक्त आंवटन, आवंटन के लिए उपलब्ध नहीं होकर यह भूमि तालाब के पास बने नाले से लगी हुई है जिस पर निगराकार का विगत 30 वर्षों से कब्जा चला आ रहा है तथा निगराकार अपने मवेशी को बांधने व रोड़ी ड़ालने के उपयोग में काम लेता है। ग्राम पंचायत द्वारा जो भूमि आवंटन की है वह आवंटन योग्य नहीं थी तथा इसका पट्टा भी जारी नहीं किया जा सकता था तथा पट्टा जारी करने से पूर्व इस तथ्य की भी जांच नहीं करवाई की आवंटन योग्य गांव मे कुल कितने व्यक्ति है, एस. सी./एस. टी. के कुल कितने सदस्य है, भूमिहीन, पिछड़े वर्ग के कितने सदस्य हैं, कब्जे संबंधी रिपोर्ट नहीं ली गई तथा न ही आवंटन योग्य भूमि की सूची बनाई गई। अधीनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा जो निः शुल्क/रियायती दर का पट्टा जारी किया है वो नियमों से परे होकर विधि–विपरीत है। अतः पट्टा निरस्त फरमावे।

अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1 ने कथन किया कि अधीनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा विपक्षी संख्या 1 को जो पट्टा जारी किया है वो पूरी प्रक्रिया अपनाकर विधि–सम्मत् पट्टा जारी किया है जिस पर विपक्षी संख्या 1 आवंटन दिनांक से काबिज होकर उपयोग–उपभोग कर रहा है निगराकार पट्टे की जमीन को हड़पना चाहता है जिससे उसके द्वारा गलत निगरानी प्रस्तुत की है तथा झूठी शिकायत पुलिस थाना राशमी में भी दी थी जिसमें तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर शिकायत झूठी मानते हुए कार्यवाही निरस्त की। विपक्षी संख्या 1 बी. पी. एल. की श्रेणी की होकर विधवा महिला है एवं निः शुल्क पट्टा आवंटन की पात्रता रखती है तथा उक्त भूमि तालाब व नाले की नहीं होकर आबादी भूमि है जिस पर निगराकार का कभी भी कब्जा नहीं रहा है। निगराकार द्वारा अवैध रूप से विपक्षी संख्या 1 के भूखण्ड पर कब्जा करने की कोशिश करने पर विपक्षी संख्या 1 द्वारा शिकायत करने पर तहसीलदार द्वारा भूखण्ड के संबंध में पटवार हल्का से दिनांक 17.10.2016 को मौका रिपोर्ट बनवाई जिसमें उक्त पट्टे की भूमि को आबादी भूमि बताया है। अतः निगराकार द्वारा मनगढ़न्त तथ्यों के आधार पर निगरानी प्रस्तुत की है अतः निगरानी खारिज फरमाई जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। जिसके अनुसार अधिवक्ता निगराकार द्वारा उक्त पट्टे की भूमि तालाब के पास बने नाले की होना एवं विगत 30 वर्षों से उक्त भूखण्ड पर निगराकार का कब्जा होना बताया है किन्तु अपने कथन की पुष्टि में ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिससे उक्त पट्टे वाला भूखण्ड तालाब के पास बने नाले की भूमि पर होना अथवा विगत 30 वर्षों से निगराकार का कब्जा होने के कथन की पुष्टि होती हो।

''राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 158 के अनुसारः–''पंचायत गांव आबादियों में, 150 वर्ग गज तक की आबादी भूमि अनुसूचित जातियों, स्वच्छकारों, अनुसूचित जनजातियों, पिछडे वर्गों के सदस्यों, गांव के कारीगरों, श्रम मजदूरी पर आधारित भूमिहीन व्यक्तियों एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम में चयनित परिवारों, विकलांगों आदि जिनके पास स्वयं के गृहस्थल/गृह नहीं है, और ऐसे बाढ़ग्रस्तों को भी जिनके गृह बह गये हैं या गृह स्थल बाढ़ के कारण भावी निवास हेतु अयोग्य हो गये हैं, रियायती दरों पर आवंटित कर सकेगी तथा उप नियम 2 के तहत ऐसी भूमियों को व्यक्तियों को कुछ श्रेणियों के लिए निः शुल्क भी आवंटित कर सकेगी।'' अतः पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन से स्पष्ट है कि विपक्षी संख्या 1 जाति से भील होकर अनुसूचित जनजाति की महिला है जो कि निः शुल्क/रियायती दर पर भूखण्ड आवंटन के लिए पात्र है। अतः निगराकार का कथन की विपक्षी संख्या 1 निः शुल्क/रियायती दर पर भूखण्ड आवंटन के लिए पात्र नहीं है मानने योग्य नहीं है।

चूंकि अधिवक्ता निगराकार ठोस सबूत/दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत कर यह साबित करने में विफल रहे हैं कि अधीनस्थ ग्राम पंचायत, अड़ाणा द्वारा विपक्षी संख्या 1 को नियमों के विरूद्ध पट्टा जारी किया है साथ ही अपनी निगरानी में वर्णित/अंकित तथ्यों को भी प्रमाणित नहीं कराया है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी पोषणीय नहीं होने से खारिज की जाती है तथा विपक्षी संख्या 1 को जारी पट्टा दिनांक 05.05.2008 यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति दोनों पत्रावलियों में संलग्न की जावे।

'निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया।'

(गितेश श्री मालवीय)